



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230266  
CG-DL-E-08102021-230266

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3832]  
No. 3832]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

सं. 36/2015-2020

विषय: अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021, अधिसूचना सं. 23/2015-2020 दिनांक 03.09.2021 तथा अधिसूचना सं. 32/2015-2020 दिनांक 25.09.2021 के क्रम में आयात के पत्तनों को शामिल करना।

का.आ. 4167(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 03.09.2021; अधिसूचना संख्या 25/2015-20 दिनांक 13.09.21 और अधिसूचना संख्या 32/2015-20 दिनांक 25.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती है:

ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं में यथा वर्णित मौजूदा (7) पत्तनों के अतिरिक्त निम्नलिखित (1) पत्तन को शामिल किया जाता है—

i. रानाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2)

2. अधिसूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 03.09.2021, अधिसूचना सं. 25/2015-20 दिनांक 13.09.2021 और अधिसूचना संख्या 32/2015-2020 दिनांक 25.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के तहत यथा अधिदिष्ट अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

**अधिसूचना का प्रभाव:** अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात को अनुमत करने के लिए रानाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2) के पत्तन को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(ए)/पार्ट-VIII/ई-29098]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2021

**No. 36 /2015-2020**

**Subject : Inclusion of Ports of Import in continuation to Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021, Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021 and Notification No. 32/2015-2020 dated 25.09.2021.**

**S.O. 4167(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the provision in Para 3 of Notification no. 20/2015-20 dated 24.08.2021 read with Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021, Notification No. 25/2015-20 dated 13.09.2021 and Notification No. 32/2015-2020 dated 25.09.2021 as under:

The following (1) port is included in addition to the existing (7) ports as stated in the Notifications mentioned above –

i. Ranaghat Railway Station (INRNG2)

2. All other conditions as mandated under Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021 read with Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021, Notification No. 25/2015-20 dated 13.09.2021 and Notification No. 32/2015-2020 dated 25.09.2021 shall continue to apply.

**Effect of the Notification:** The port of Ranaghat Railway Station (INRNG2) has been additionally included for allowing imports under Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part-VIII/E-29098]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.